कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राघव इन्टरप्राइजेज, लालपुर कलां, तहसील-टाण्डा, रामपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**015 / 16, 27.07.2016**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री राघव इन्टरप्राइजेज, लालपुर कलां, तहसील-टाण्डा, रामपुर द्वारा दिनांक 27.07.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

1. एग्रीकल्चर वुड पीलिंग नाइफ
   Agriculture Wood Peeling Knife
2. एग्रो वुड चिपिंग नाइफ
   Agro Wood Chipping Knife

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 25.04.2017 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद के पत्र संख्या-1643, दिनांक 16.09.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा एग्रीकल्चर वुड पीलिंग नाइफ एवं एग्रो वुड चीपिंग नाइफ पर कर की दर की जानकारी मॉगी गयी है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित वस्तुओं का उल्लेख उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I व II के वर्गीकृत वस्तओं में से किसी श्रेणी में वर्णित नहीं पाया गया है। अत: व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में कर की देयता की जानकारी मॉगी गयी है, वे वस्तुएं अवर्गीकृत की श्रेणी में प्रतीत होती हैं।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा एग्रीकल्चर वुड पीलिंग नाइफ (Agriculture Wood Peeling Knife) एवं एग्रो वुड चिपिंग नाइफ (Agro Wood Chipping Knife) पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी द्वारा पृच्छित वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III व IV में वर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती है। अत: एग्रीकल्चर वुड पीलिंग नाइफ (Agriculture Wood Peeling Knife) एवं एग्रो वुड चिपिंग नाइफ (Agro Wood Chipping Knife) पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। एग्रीकल्चर वुड पीलिंग नाइफ (Agriculture Wood Peeling Knife) एवं एग्रो वुड चिपिंग नाइफ (Agro Wood

....2

<u>**सर्वश्री राघव इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-015 / 16 / धारा-59 / पृष्ठ-2**</u>

Chipping Knife) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III व IV के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है। अत: अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 30 अगस्त , 2017

ह0/ 30/08/2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।